राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गिरधारी बनाम गोपाल 382/2018 , 361/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17/04/2018 के माध्यम से दो दावे क्रमश: 117/2008 व 35/2010 को हमफिता करते हुये पारित किया गया है, जिसे विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 382/2018 एवं 361/2018 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 28/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
28/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया एवं दूसरा वाद रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती रिकार्ड का पेश किया, दोनों वादों के संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि और प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम चकरोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में पास-पास स्थित है तथा वादीगण के पिता रघुनाथ और प्रतिवादीगण के मामा श्री चंदा ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि कृषि सुविधा हेतु अपने खातेदारी की कृषि भूमि की अदला-बदली दिनांक 01.02.1984 को लिखित इकरारनामें के तहत कर प्रतिवादीगण के मामा श्री चंदा की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 28 रकबा 12 बीघा कृषि भूमि वादीगण के पिता श्री रघुनाथ की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 42 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा से की थी। उक्त अदला-बदली के फलस्वरूप राजस्व रिकोर्ड में भी दिनांक 21.01.1989 को नामान्तरण संख्या 8 के द्वारा खसरा नं0 28 रकबा 3 हेक्टेयर का नामान्तरण वादीगण के पिता रूघनाथ के नाम खोल दिया गया। तथा कृषि भूमि खसरा नं 42 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का नामान्तरण प्रतिवादीगण के मामा के नाम खोल दिया गया, तथा उक्त राजस्व रेकार्ड में अदला बदली के अनुसार वादीगण और प्रतिवादीगण अपनी-अपनी कृषि भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है । उपरोक्त अदला-बदली के पश्चात् भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के पिता के नाम पृथक से खसरा नं 28 रकबा 3 हेक्टेयर का पर्चा खतौनी जारी फर्मा दिया था। परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग ने हाल सर्वे के पश्चात् वादीगण की सम्पूर्ण कृषि भूमि खसरा नं 28 रकबा 2.82 हेक्टेयर, खसरा नं 31 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा नं. 234 रकबा 0.63 हेक्टेयर, खसरा नं 235 रकबा 0.30 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.66 हेक्टेयर वादीगण की खसरा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गिरधारी बनाम गोपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	382/2011, 361/2018	

नं 28 रकबा 3 हैक्टेयर के 2 भागों में विभक्त कर खसरा नं 28 रकबा 2.82 हेक्टेयर और खसरा नं 28/382 रकबा 0.10 हेक्टेयर बना दिये। उपरोक्त खसरा नं 28 को विभक्त करने के पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा खसरा नं 26/382 का पृथक से खाता बनाकर उसकी खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता हनुमान के नाम अंकित कर दी। जबकि खसरा नं 28 की सम्पूर्ण खातेदारी वादीगण के पिता के नाम अंकित थी। तथा उक्त खसरे का रकबा 3 हेक्टेयर था। जिसे 2 भागों में विभक्त कर रकबा 2.82 हेक्टेयर और 0.10 हेक्टेयर किया गया है। खसरा नं 28/382 को वादीगण के पास उनके पिता के समय से ही उनके कब्जे काश्त में चला आ रहा है। परन्तु राजस्व विभाग की गलती से उक्त खसरा नं की खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता के नाम से दर्ज हो गयी है। वादीगण का यह विदिक अधिकार है कि वे उक्त गलती को दुरस्त करवा उक्त खसरा नं 28/382 की खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवायें। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिकी फरमाई जाकर खसरा नं 28/382 रकबा 0.10 हेक्टेयर की खातेदारी में प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज फरमाया जावें, एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जें, काश्त के खसरा नं 28/382 रकबा 0.10 हेक्टेयर में कृषि कार्य में वादीगण को बाधा ना पहुँचाये एव ना ही कब्जा काश्त से बेदखल करे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों वाद प्रस्तुत किये जाने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01/05/2009 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र कंसोलीडेट के सम्बन्ध में दोनों पक्षो द्वारा सहमति जाहिर किये जाने से एवं दोनों प्रकरणों में विवादित आराजी एवं पक्षकार के समान होने से दोनों वाद को हमफिता कर दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01/05/2009 के माध्यम से दोनों वादों को हमाफता किये जाने का अंकन करते हुये तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय दिनांक 17/04/2018 पारित करते हुये वादीगण का वाद संख्या 35/2010 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 28/382 रकबा 0.10 हैक्टेयर वाके ग्राम चक रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर की खातेदारी प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण के नाग दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त के खसरा नंबर 28/382 रकबा 0.10 हैक्टेयर में कृषि कार्य में वादीगण को बाधा ना पहुंचायें, ना ही उन्हें कब्जा काश्त से बेदखल करें तथा दावा संख्या 117/2008 बाबत वाद बेदखली व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गिरधारी बनाम गोपाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	382/2018, 361/2018	

स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद विरूद्ध प्रतिवादी खारिज किया जाता है । जिससे व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अपील संख्या 361/2018 व 382/2018 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपे य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार सही रूप से विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/04/2018 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश: 361/2018 व 382/2018 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 28/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर